न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 101 / 2012

1 नौरंगराम पुत्र श्री बनवारी जाति माली निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांट

बनाम

1 मनोहर पुत्र श्री खेता
2 राधेश्याम पुत्र श्री मनोहर
3 रामचन्द्र पुत्र श्री मनोहर
4 कृष्ण पुत्र श्री मनोहर जाति माली निवासीगण पथवारी वाला कुआ सिंघाना तहसील सिंघाना जिला झुन्झुनूं।
5 मु. शारदा पुत्री श्री मनोहर पत्नी श्री माडूराम जाति माली निवासी सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
6 मु. मन्जू पुत्री श्री मनोहर पत्नी स्व. गोकुल प्रसाद जाति माली निवासी नानू वाली बावड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ.धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना मुकदमा उनवानी मनोहर
वगे. बनाम नौरंग, प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.नं.
63 / 2011 तारीख आदेश 19.10.2012

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * (झुन्झुनूं) सत्यमेव जयते

–निर्णय–

दिनांकः– 10.1.25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 63/2011 में पारित निर्णय दिनांक 19.10.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से ग्राम सिंघाना तहसील बुहाना की भूमि खसरा नम्बर 326, 363, 364, 366, 371, 372, 374, 376, 398, 399, 400 से 406 के संदर्भ में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन के निस्तारण के लिए निर्धारित तीनों घटकों पर विवेचन किए बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विवादित भूमि कस्टोडियन की है। विचारण न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2062–65 खाता संख्या 152 के अवलोकन के अनुसार कस्टोडियन विभाग मु. बनारसी बेवा परसाराम रामनिवास पु. परसाराम 1/3 नोरंग पुत्र बनवारी रूड़ती बेवा बनवारी 1/3 मु. नीवली बेवा हेमाराम बुधराम पु. हेमाराम 1/9 झाबर राम शोभाराम पि. बालूराम 2/9 कौम माली सा.देह दर्ज रिकार्ड है तथा जमाबंदी में लगे नोट नामांतकरण संख्या 433 अन्य 11.09.2008 से सिवायचक (पूर्नवास विभाग से स्थानान्तरित) दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नकल मतदाता सूची वर्ष 1971 वर्ष 1983, वर्ष 1988 एवं वर्ष 2011 की निर्वाचन नामावली के अनुसार मनोहर पि. खेता, रूड़ी, पत्नी मनोहर, नोरंग पुत्र मनोहर अंकित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

है। रूड़ती बेवा बनवारी 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार उक्त विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)